229

-1-

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

निग - 3016 - 1-16

प्र0क0 /एक/2016 निगरानी

1- आत्माराम पुत्र चन्दन यादव

2- राजकुमार पुत्र चन्दन यादव

दोंनों पलोथर तहसील दतिया

जिला दतिया, म0प्र0 -----आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा

कलेक्टर जिला दतिया ,म0प्र0 ----अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत म0प्र0भू राजस्त संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अंतर्गत - कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 8/1994-95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-8-1995 लिखकर की गई फर्जी खसरा प्रविष्टि तथा तहसीलदार दतिया व्दारा आवेदक को शासकीय भूमि का अतिकामक मानकर आवेदक के विरूद्ध अतिकमण की कार्यवाही के विरूद्ध)

कृ0पृ030--2

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 3016 –एक/2016 निगरानी **जिला दतिया**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
21.10.16	यह निगरानी कलेक्टर, शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 8/1994–95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–8–1995 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 176 अ–19/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 3–10–1991 से (1) आत्माराम (2) राजकुमार दोनों पुत्रगण चन्दन यादव के नाम सॅयुक्तरूप से ग्राम पलोथर की भूमि सर्वे कमांक 6 रकबा 2.10 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का पटटा प्रदान किया। निगरानी मेमो के तथ्यों अनुसार तत्समय हलका पटवारी ने आवेदकगण से लेन देन की मांग करने पर एंव आवेदकगण व्दारा इंकार कर देने के कारण हलका पटवारी ने वर्ष 1995–96 के वाद के खसरे के कालम नंबर 14 में टीप अंकित कर दी कि कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 8/1994–95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–8–1995 से भूमि शासकीय घोषित की गई। **वर्तमान में करैरा तहसील का गॉव पलोथर तहसील व जिला दतिया में समाहित है।** पटवारी की उक्त हरकत का पता आवेदकगण को तब	

चला जबकि वर्तमान पटवारी ने तहसीलदार दतिया को शासकीय भूमि (वादोक्त भूमि) पर आवेदकगण के अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी एंव तहसीलदार दतिया ने आवेदकगण को वादोक्त भूमि का अतिक्रामक मानकर संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पेशी 2-8-16 नियत कर कारण बताओ नोटिस जारी किया। तदुपरांत आवेदकगण ने कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 8/1994-95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-8-1995 की प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर प्रधान प्रतिलिपिकार ने यह लिखकर मूल आवेदन वापिस कर दिया कि प्रकरण उपलब्ध नहीं है। कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 8/1994-95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-8-1995 एंव तहसीलदार दतिया व्दारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पेशी 2-8-16 नियत कर जारी कारण बताओ नोटिस से दुखी होकर तहसीलदार करैरा के प्रकरण क्रमांक 176 अ-19/1990-91 में पारित आदेश दिनांक 3-10-1991 से प्राप्त पट्टे की भूमि यथावत् दर्ज रखे जाने की मांग करते हुये यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार भूमि का पट्टा मिलने एंव हलका पटवारी व्दारा मौके पर नप्ती करके भूमि चिन्हांन उपरांत कब्जा देने के वाद हलका पटवारी ने तत्समय के खसरों में पट्टे का अमल किया है खसरा वर्ष,1991-92

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 3016 –एक/2016 निगरानी जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
	लगायत 1998–99 तक निरन्तर भूमि आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अभिलिखित रही है। आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि हलका पटवारी ने स्वस्तर से बिना सक्षम अधिकारी का आदेश लिये नवीन खसरा बनाते समय कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण कमांक 8/1994–95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–8–1995 डालकर भूमि शासकीय अंकित कर दी। इस कार्यवाही को करते समय पटवारी अथवा किसी राजस्व अधिकारी ने आवेदकगण को कोई नोटिस/सूचना जारी नहीं की एंव सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। जब संहिता की धारा 248 का आवेदकगण को नोटिस मिला एंव वर्तमान पटवारी से जानकारी ली, तब पटवारी व्दारा की गई गलत प्रविष्टि का पता चला, तब उन्होंने कलेक्टर के प्रकरण कमांक 8/1994–95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–8–1995 की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी एंव मुख्य प्रतिलिपिकार ने जब य[illegible] लिखकर दिया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है तब ह[illegible] पटवारी व्दारा की गई फर्जी प्रविष्टि से दुखी होकर[illegible] निगरानी प्रस्तुत की गई है। शासन के पैनल लायर का तर्क है कि [illegible] शिवपुरी का प्रकरण कमांक 8/1994–95 स्वमेव नि[illegible] पारित आदेश दिनांक 14–8–1995 सही है भले ह[illegible]	

प्रकरण नहीं मिल रहा है , किन्तु खसरे में इस प्रकरण आदेश का तत्समय अंकन होना एंव भूमि शासकीय दर्ज होना सही कार्यवाही है उन्होंने भूमि शासकीय दर्ज रखे जाने की मांग रखी।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादोक्त भूमि आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व पर खसरा वर्ष 1991–92 लगायत 1998–99 तक निरन्तर दर्ज है तथा आवेदकगण के हित में जारी उक्त खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियों से एंव नायव तहसीलदार वृत्त दिनारा तहसील करैरा के दायरा पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि के सरल कमांक 176 पर आवेदकगण के पट्टे के प्रकरण का दायरा होने से इस तथ्य का पुष्टिकरण है कि तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 176 अ–19/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 3–10–1991 से आत्माराम , राजकुमार दोनों पुत्रगण चन्दन यादव के नाम संयुक्त रूप से ग्राम पलोथर की भूमि सर्वे कमांक 6 रकबा 2.10 हैक्टर का पट्टा प्रदान किया है। इन प्रमाणित प्रतिलिपियों के खण्डन पर अनावेदक के पैनल लायर मौन रहे हैं।

5/ तहसील न्यायालय से आवेदकगण के हित में जारी की गई वर्ष 1991–92 लगायत 1998–99 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि आवेदक का नाम वादोक्त भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है किन्तु आगे के खसरा बनाते समय बिना सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त किये तत्कालीन पटवारी ने कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 3016 -एक/2016 निगरानी जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
	कमांक 8/1994-95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-8-1995 अंकित करते हुये भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज की है, जबकि मुख्य प्रतिलिपिकार ने यह लिखकर लिया कि ऐसा कोई प्रकरण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं । स्पष्ट है कि तत्समय पदस्थ रहे हलका पटवारी व्दारा की गई प्रविष्टि संदेहास्पद है जिसके फर्जी होने के अनुमान पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। पटवारी की इस वावत् तत्समय क्या शोच रही है वर्तमान में अन्दाज लगाया जाना संभव नहीं है, किन्तु आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को बिना सक्षम आदेश के हलका पटवारी ने नवीन खसरा बनाते समय उनका नाम हटाकर शासकीय लिखना प्रमाणित है । हलका पटवारी को बिना सक्षम आदेश के खसरे से भूमिस्वामी के नाम को विलोपित करने की शक्तियॉ नहीं है। इस सम्बन्ध में म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :- " धारा 117 - भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा - भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। " गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2002 रा0नि0 61 में न्यायमूर्ति श्री आर0पी0गुप्ता (हा0को0) के	

व्यवस्था दी है कि (यद्धपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो उसके सही होने का अनुमान किया जाये। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा).

गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम0पी0एल0जे0 304 = 1983 रा.नि. 213 उच्च न्यायालय में व्यवस्था दी गई है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी).

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है एंव शासन के पैनल लायर प्रस्तुत अभिलेख का खण्डन भी नहीं कर सके हैं जिसके कारण प्रस्तुत अभिलेख पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 14–8–1995 की खसरे में प्रविष्टि संदेहास्पद प्रतीत होती है जिसके कारण ऐसी प्रविष्टि को स्थिर नहीं रखा जा सकता।

7/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार करैरा के प्रकरण कमांक 176 अ–19/ 1990–91 में पारित आदेश दिनांक 3–10–1991 से भूमि पट्टे पर मिलने के वाद वादोक्त भूमि को आवेदकगण ने पड़त से कृषि योग्य बनाया है तथा समतल करने में काफी मेहनत की है। सिंचाई साधन बनाने में काफी धन खर्च किया है, यदि वर्ष 1991 में दी गई भूमि उनसे वर्ष 2016 में (25 वर्ष वाद) वापिस ली जाती है तब आवेदकों को परिवारों के पालन–पोषण में मुश्किल खड़ी हो जावेगी। यदि आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय –

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 3016 –एक/2016 निगरानी जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
	1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। 2. देवी प्रसाद विरूद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्द नहीं किया जा सकता। विचाराधीन प्रकरण में हलका पटवारी ने अधिकारविहीन कार्यवाही करते हुये आवेदकगण के नाम की खसरे में चली आ रही भूमिस्वामी स्वत्व की प्रविष्टि को कलेक्टर शिवपुरी के यहाँ प्रकरण न होते हुये भी फर्जी कमांक व आदेश दिनांक डालकर वादग्रस्त भूमि शासकीय अंकित करने में त्रुटि करना प्रतीत होता है जिसके कारण आवेदक को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है । 8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण कमांक 8/1994-95	

प्र0क0 3016 –एक/2016 निगरानी

स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–8–1995 की खसरे में पटवारी व्दारा की गई प्रविष्टि संदेहास्पद एंव आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार दतिया को आदेश दिये जाते हैं कि आवेदकगण आत्माराम एंव राजकुमार दोनों पुत्रगण चन्दन यादव के नाम ग्राम पलोथर की भूमि सर्वे कमांक 6 रकबा 2.10 हैक्टर पर पट्टे के चले आ रहे अमल अनुसार उनके नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में चालू खसरे एंव कम्प्यूटराईज्ड खसरे में पूर्ववत् अंकित करावें।

सदस्य